

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ~~अस्थायी~~ बनाम ~~अप्रार्थीगण~~

मुकदमा संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा- 56/2021

31/03/2021

पत्रावली वास्तु अतिम बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

वस्तु जमाबंदी संख्या 2026-2029 साविक खसरा नम्बर 337 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा को नामांतरण संख्या 105 दिनांक 19.6.75 द्वारा गलत रूप से सिवायचक में अंकन कर दिया गया, जबकि इस भूमि पर प्रार्थीगण के बाबा स्व0 भौमा पुत्र बिरदया व उसके बाद प्रार्थीगण 1 व 2 के पिता व प्रार्थी नम्बर 3 के पति स्व0 श्री गोपाल पुत्र भौमा के जमाने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आयी है। तत्कालीन पटवारी हत्का द्वारा तहसीलदार जी के आदेश क्रमांक 461 दिनांक 23.5.74 के अनुसार 1.5.75 को नामांतरण खोला गया और यह नामांतरण तत्कालीन नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 19.6.75 को भौमा पुत्र बिरदा के बजाय सिवायचक में दर्ज कर दिया, जिस नामांतरण के भरने के संबंध में सूचना खातेदारान को नहीं दी और ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया। इसलिये यह नामांतरण संख्या 105 दिनांक 19.6.75 तथा तदंगत किया गया सिवायचक का इन्द्राज प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर एवं राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 135 के प्रावधानों के विपरीत होकर उक्त इन्द्राज व अंकन काविले दुरुस्ती है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र नय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंदित फरमाया जावे कि वे स्वयं या उनके प्रतिनिधि नौकर-चाकर, एजेन्ट, कारकून आदि मिलकर उक्त आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 381 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 383 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 390 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम देवरी तहसील सांगानेर जिला जयपुर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग में बाधा नहीं डाले, जबरन अतिक्रमण कर कब्जा नहीं करे एवं मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन नहीं करे। जिस वादत प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, परन्तु निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए गए

1. कब्जा प्राप्ति आदेशिका खसरा नम्बर 379, 380, 381, 383, दिनांक 21.05.1982
2. आदेशिका दिनांक 22.05.1982 से दिनांक 09.03.2004
3. सर्वेक्षण अवाप्ति भूमि खसरा नम्बर 379, 380, 381, 383



अरशदीप वरार (अ.ए.एस.)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान बनाम/2021

मुकदमा संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा-...../2021

4. कंबा फर्द 379 दिनांक 22.05.1982
5. रांशोधित सर्वेक्षण अवाप्ति भूमि खसरा नम्बर 381
6. न्यू पिकसिटी की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रेषित किया गया पत्र दिनांक 20.07.1982
7. निर्णय दिनांक 04.09.1982 कार्यालय विषेधाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
8. प्रार्थना पत्र राजस्थान आवासन मण्डल दिनांक 27.09.1982
9. वेल्यूवेशन ऑफ खसरा नम्बर 379, 380, 381, 383
10. पत्र राजस्थान आवासन मण्डल दिनांक 22.03.1983
11. पत्र सचिव राजस्थान आवासन मण्डल दिनांक 01.09.88
12. डिटेल्स ऑफ ट्री खसर नम्बर 379, 380, 381, 383
13. प्रार्थना पत्र न्यू पिकसिटी दिनांक 22.12.1998
14. अवार्ड क्रमांक 1 दिनांक 02.01.88 वाद संख्या 1/82(99)
15. आदेश न्यायालय सिविल न्यायालय जयपुर नगर जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 57/82 दिनांक 07.04.1983 एवं न्यायालय के निर्णय एवं आदेशिका

शेष किसी भी प्रतिवादी का जवाब प्राप्त नहीं हुआ अतः जवाब बन्द कर पत्रावली उभयपक्षों की बहस हेतु नियत की गई। अपनी बहस में प्रार्थी ने उक्त लिखित तथ्य पुनः दोहराए व प्रतिवादी 2 से 4 के अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित बहस विन्दु पेश किए गए:-

आराजी भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत जो भूमि अवाप्त की जा चुकी और उसकी अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी हो वहां रेवेन्यू कोर्ट में दावा नहीं लाया जा सकता है। ऐसी चाराजोही सिविल न्यायालय में चलने योग्य है। आवासन मण्डल द्वारा खसरा नम्बर- 379, रकबा 8 बीघा विस्वा नये नम्बर 543 रकबा 2.22 हेक्टेयर जरिये आवादी अवार्ड आदेश दिनांक 2.01.1989 के द्वारा आवासन मण्डल के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अवार्ड की राशि राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर से प्राप्त करने से मना कर दिया, जबकि आवासन मण्डल द्वारा इनकी अवार्ड राशि देने से मना नहीं किया और प्रतिवादी मण्डल द्वारा अवार्ड की आंशिक राशि सिविल जज

अरशदीप
सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान बनाम

मुकदमा संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा-...../2021

के कोर्ट में दिनांक 08.08.93 को जमा करवा दी गयी है। खसरा नम्बरान 380, 381 व 383 को आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा राजस्थान राज पत्र दिनांक 09.02.1982 में नगरीय आवासन विकास विभाग द्वारा उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन आवासन मण्डल, जयपुर के लिये अवाप्त कर लिया गया और यह अवाप्ति राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अवाप्त की गयी है। तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में भी आवासन मण्डल के नाम दर्ज हुआ। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पर मानसरोवर नाम की आवासीय कॉलोनी पूर्ण रूप से विकसित की गयी है। इस कारण प्रार्थीगण का यह कथन कि उक्त खसरा नम्बर पर इनका कब्जा काश्त है, पूर्णतया असत्य दर्ज किया गया है। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आवासन मण्डल पर लागू नहीं होते हैं।

अतः अप्रार्थीगण राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाब/दस्तावेजों व अंतिम बहस का पूर्ण अध्ययन कर न्यायालय यह पाता है यह वाद मूल रूप से वादी के अनुसार उसके पूर्वजों के कब्जे की भूमि के किए गए गलत नामांतरण को दुरुस्त करवा उसके हिरसे की घोषणा बाबत है। परन्तु वर्तमान में यह भूमि राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा अवाप्त की जा चुकी है। इस भूमि के वास्तविक अधिकारी व खातेदार कौन है इसका निर्णय मूल वाद में साक्ष्य/बहस के बिनाह पर किया जाएगा परन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा में मूल रूप से प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दुओं का विवेचन कर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

प्रथम दृष्टया: विवादग्रस्त भूमि का न तो वर्तमान में शीर्षक वादी के नाम है व न ही उस पर अपना कब्जा साबित करने हेतु प्रार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश किया गया। प्रस्तुत साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि विवादग्रस्त भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की जा चुकी है जिस पर आवासीय कॉलोनी भी विकसित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादी के पास न ही विवादित भूमि का शीर्षक है व न ही कब्जा। अतः यहां 'No Injunction without possession' का सिद्धांत लागू होता है। उक्त तथ्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया यह वाद व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता।

अपूर्णिय क्षति:- यदि प्रतिवादीगण (title holder in possession) को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है तो उसके अधिकारों व हक पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि उसके नाम व कब्जे की भूमि का उपयोग-उपभोग करने से प्रतिवादीगण को बाधित किया जाता है तो उन्हें अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा।

फर्द अहकाम


नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान बनाम
जयपुर जिल्हा न्यायिक क्षेत्र

मुकदमा संख्या- अस्थाई निषेधाज्ञा-...56... / 2024

उक्त निर्णित प्रथम दृष्टया/सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते, अतः यह न्यायालय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार करता है।

पत्रावली फ़ैसलं शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 31/8/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अरशदीप वरार (आर.ए.न.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम